

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.7(366)परि/नियम/मु0/HSRP/2021/01117/ जयपुर, दिनांक: 21/9/2023
2/063

आदेश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. - सा. का.नि. 1162 (अ), दिनांक 04.12.2018 सहपठित अधिसूचना संख्या- का.आ.6052 (अ). दिनांक 06.12.2018 सहपठित अधिसूचना संख्या- का.आ.1018 (अ) दिनांक 25.02.2019 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या-सा.का.नि. 604(अ) दिनांक 18.08.2022में दिनांक 01.04.2019 से पूर्व अथवा उसके बाद विनिर्मित वाहनों पर संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर कोतीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट(HSRP) लगाया जाना विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2019 के बाद विनिर्मित वाहनों में समस्त मोटरयान विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर्स द्वारा तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट(HSRP) लगायी जा रही हैं।

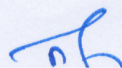
उपयुक्त के क्रम में दिनांक 01.04.2019 के पूर्व विनिर्मित वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने हेतु वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर्स को प्राधिकृत किया जाता है एवं तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर तीसरे पंजीयन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.-सा.का.नि. 1162 (अ), दिनांक 04.12.2018 सहपठित अधिसूचना संख्या- का.आ.6052 (अ). दिनांक 06.12.2018 सहपठित अधिसूचना संख्या- का.आ.1018 (अ) दिनांक 25.02.2019 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या- सा. का.नि. 604(अ) दिनांक 18.08.2022 में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
2. राज्य के प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में बिना अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगे पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण, हस्तान्तरण, HPN, assignment, NOC, पता परिवर्तन, फिटनेस नवीनीकरण इत्यादि वाहन पोर्टल पर किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।
3. तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिसमें वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकृत डीलर द्वारा वाहन पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
4. आवेदक द्वारा वाहन विनिर्माता अथवा निकटस्थ डीलर को अपने वाहन पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने से लेकर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने तक की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।
5. वाहन विनिर्माता एवं अधिकृत डीलर द्वारा वाहन स्वामी के ऑफलाईन (Manual) आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

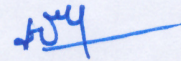
6. आवेदक द्वारा ऑन-लाईन पोर्टल पर किये गये आवेदन पत्र तथा जमा करायी गई राशि की रसीद का प्रिन्ट लेने की सुविधा दी जायेगी।
7. ऑनलाईन अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) के लिए राशि जमा करने के पश्चात् वाहन स्वामी ऑन-लाईन पोर्टल पर स्लॉट का चयन करेगा एवं निर्धारित दिनांक पर स्लॉट के अनुसार अधिकृत डीलर की परिसर में आकर वाहन पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगवायेगा।
8. अधिकृत डीलर द्वारा वाहन परतीसरे पंजीयन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाने के पश्चात् पोर्टल पर HSRP से सम्बन्धित लेजर कोड सहित विवरण अपलोड करेगा, जिसका Validation HSRP विनिर्माता द्वारा अपलोड की गई Inventory से किया जायेगा। इसके पश्चात् अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) फिटमेन्ट के सर्टिफिकेट की एक प्रति वाहन स्वामी को प्रदान करेगा।
9. अधिकृत डीलर प्रत्येक वाहन में अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि जिस वाहन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, HSRP भी उसी वाहन पर लगायी जाये, अर्थात् HSRP लगवाने हेतु प्रस्तुत होने वाले वाहन के संबंध में डीलर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र से चैसिस एवं इंजन नम्बर के मिलान करने के पश्चात् ही अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगायेगा।
10. प्रत्येक अधिकृत डीलर वाहन विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) एवं तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न का ही प्रयोग करेगा।
11. पोर्टल पर आवेदन से लेकर HSRP फिटमेन्ट होने तक की समस्त कार्यवाही की क्रमबद्ध (Stepwise) सूचना वाहन स्वामी को पोर्टल पर एवं एस.एम.एस के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
12. दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनो पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्रमांक	समस्त वाहन	HSRP लगाये जाने की समय सीमा
1	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है	30 नवम्बर 2023
2	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है	31 दिसम्बर 2023
3	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है	31 जनवरी 2024
4	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है	29 फरवरी 2024
5	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है	31 मार्च 2024

13. बिना अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) संचालित पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. समस्त पंजीयन अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के अधिकृत डीलर्स की बैठक कर उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अवगत करवाकर एवं समुचित प्रचार-प्रसार तथा अपेक्षित कार्यवाही कर समस्त पुराने वाहनो पर HSRP लगवाये जाने का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।



15. आवश्यकतानुसार वाहन विनिर्माता एवं उनके अधिकृत डीलर्स के परिसर के अतिरिक्त विभाग के निर्देशानुसार यथासंभव प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय के समीप अन्य स्थानों पर भी फिटमेन्ट सेन्टर खोले जा सकेंगे।
16. राजस्थान राज्य में अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) के लिए वाहन विनिर्माता एवं उनके अधिकृत डीलर्स के अलावा कोई अन्य अनाधिकृत रूप से HSRP की आपूर्ति करते अथवा लगाते हुए पाये जाने पर विभाग द्वारा समुचित विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
17. वाहन विनिर्माता/अधिकृत डीलर द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किये जाने एवं शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने पर दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाने के लिए अधिकृत करने को प्रत्याहुत (Withdraw) किया जावेगा तथा विभाग द्वारा ऐसे वाहन विनिर्माता एवं अधिकृत डीलर को प्रतिबंधित कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
18. विभाग द्वारा वाहन विनिर्माता/अधिकृत डीलर निर्धारित दरों एवं इस आदेश के अनुसार HSRP लगाने हेतु सहमति पत्र आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाने के लिए अधिकृत होंगे।
19. पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीयनचिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाने की दरें विभाग द्वारा पृथक से निर्धारित की जावेंगी।
20. प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर्स को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाये जाने की विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दर को आमजन को सूचना के लिए सदृश्य स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जावेगा तथा HSRP के लिए निर्धारित अधिकतम दर से ज्यादा राशि वसूल नहीं की जावेगी।

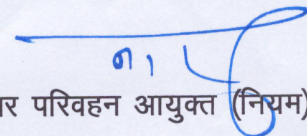


(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.7(366)परि/नियम/मु0/एच.एस.आर.पी./2021/01117/21064-69 जयपुर, दिनांक: 21/9/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
3. उपायुक्त (यातायात), पुलिस आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. समस्त अधिकारीगणमुख्यालय।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. नोडल अधिकारी वेबसाइट परिवहन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)